संख्या-सम्ब0-236/सत्तर-2-2010-2(236)/2010

प्रेषक,

डॉ0 रामानन्द प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 30 जुलाई, 2010

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकःरू0वि0/सम्ब0/2010/3691-92, दिनांक 30-04-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन विवेकानन्द महाविद्यालय, दरवाड़ा, चॉदपुर, बिजनौर को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, उर्दू, समाजशास्त्र, ड्राइंग एण्ड पेंटिंग एवं गृह विज्ञान) विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2009-10 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01-07-2010 से शैक्षिक सत्र 2010-11 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः-

(1) घोषित परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2010-11 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थायी) की पूर्वानुमति मानते हुए सत्र 2010-11 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थायी) आदेश निर्गत किये जायेंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(3) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(डॉ0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-सम्ब0-236(1)/सत्तर-2-2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
(3) सचिव/प्रबन्धक, विवेकानन्द महाविद्यालय, दरवाड़ा, चॉदपुर, बिजनौर।
(4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।